# न्यायालय उपजिला कलैक्टर, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी :— अजीत कुमार गोदारा (आर.ए.एस.)**
**प्रकरण संख्या :— 26 / 2022**

**स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ़।**

——प्रार्थी

बनाम

**ग्राम पंचायत 15 ए पंचायत समिति अनूपगढ।**

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) जनरल **कलोनी कण्डीशन**

दिनांक : — **06.09.2024**

**— :: निर्णय :: —**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिये रास्ते के अधिकार के सृजन या आरक्षित करने के अधिकार का प्रावधान अधिसूचना एफ4(5)उपनि / 2006 दिनांक 11.05.2012 के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृती हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत 15 ए—बी द्वारा दिनांक 19.01.2022 के अनुसार चक 14 ए के मु.नं. 20 प. नं. 301 / 453 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में मौका पर रास्ता चालू है परन्तु वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः उक्त चालू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का श्रम करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त रकबा में से रास्ता स्वीकृत बाबत् सहमति पत्र / शपथ पत्र प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत हेतु निवेदन किया है।

तहसीलदार अनूपगढ़ के जांच प्रतिवेदन के अनुसार चक 14 ए के मु.नं. 20 प.नं. 301 / 453 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में मौका पर चालू रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुशंषा की है। चूंकि उपरोक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

पत्रावली के संलग्न तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। नजरी नक्शा के अवलोकन उपरान्त पाया कि चक 14 ए के मु.नं. 20 प.नं. 301 / 453 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ता मौका पर चालू होना बताया गया है व आमजन द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। यदि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उपरोक्त मुरब्बा के चिपते समस्त काश्तकारान व आमजन को आवागमन की सुविधा होगी व तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा मौका पर रास्ता चालू होना व सार्वजनिक हित में रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

1955 की शर्त 8(2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिये रास्ते के अधिकार के सृजन या आरक्षित करने के अधिकार का प्रावधान अधिसूचना एफ4(5)उपनि / 2006 दिनांक 11.05.2012 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा हेतु रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अतः आमजन हेतु आवागमन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए **चक 14 ए के मु.नं. 20 प.नं. 301 / 453 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा** गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**:: आदेश ::**

**चक 14 ए के मु.नं. 20 प.नं. 301 / 453 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा** गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता के रूप में स्वीकुतशुदा भूमि सम्बन्धित काश्तकारान के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार अनूपगढ़ रास्ते का रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक **06.09.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

**(अजीत कुमार गोदारा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अनूपगढ़**